



प्रेषक,

के०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2026

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार, राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-2041-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि ₹0 174.85 लाख (₹0 एक करोड़ चौहत्तर लाख पचासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक / मानक मद 2041-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान	प्राविधानित धनराशि	धनराशि, जिसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।
01-वेतन	70.00	70.00
02-मजदूरी	0.60	0.60
03-मंहगाई भत्ता	45.50	45.50
04-यात्रा व्यय	0.30	0.30
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00	5.00
06-अन्य भत्ते	5.00	5.00
07-मानदेय	0.10	0.10
08-कार्यालय व्यय	2.00	2.00
09-विद्युत देय	2.00	2.00
10-जलकर / जल प्रभार	0.20	0.20
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.60	0.60
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	3.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.40	0.40
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	9.00	9.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.20	0.20
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	9.00	9.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.20	0.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का कय	0.50	0.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.70	0.70
49-चिकित्सा व्यय	2.00	2.00
51-वर्दी व्यय	0.50	0.50
55-मकान किराया भत्ता	15.00	15.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.00	3.00
योग -	174.85	174.85

2- आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-2573एस0पी0/18-07-76(एस0पी0)/86, दिनांक 08-01-1992, पत्र संख्या-2177/18-07-94-15 (एस0पी0)-92 दिनांक 17-10-94, पत्र संख्या-2275/18-05-98-15(एस0पी0)-92टी0सी0, दिनांक 07-12-98, पत्र संख्या-708/18-05-98-15(एस0पी0)-92, दिनांक 08-01-94, पत्र संख्या-2917/18-05-2000-49(एस0पी0)-2000, दिनांक 20-12-2000 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहाँ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो, वहाँ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

3- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-61/2026/1/1312908/2026 (1)/30-3-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
- 5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।